



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines
Mine Code: 38RAJ26005

माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhapura Industrial Area,
अजमेर -305002 (राजस्थान)
Ajmer- 305002 (Rajasthan)

संख्या: E/5581/MCDR-MiFLOLST/25/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक : 06.10.2023

प्रेषित: खान एजेंट, दारोली चूना पत्थर खान नंबर 2,
मेसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड,
श्रीपत नगर, पोस्ट ऑफिस-सी एफ ए, डबोक के पास,
तहसील-वल्लभ नगर, जिला- उदयपुर (राजस्थान) 313 021
Email: mines@ucwl.jkmail.com, krishanpal@ucwl.jkmail.com;

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Daroli Limestone Mine No.2** (Lease area 213.33 Hect., ML No. 23/01) situated in Udaipur District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 12.09.2023 by the undersigned in presence of Sh. K P Singh, Agent & HOD(Mines):

Rule No.	Nature of violation observed in detail
45(7)	In annual return 2022-23 following discrepancies were observed: 1) Under item 1 (Exploration) of Part-V, the figures of exploratory drilling & expenditure on exploration at the beginning of the year, during the year & cumulative figures have not been reported. 2) Under item 5 (Trees Planted- survival rate) of Part-V, total nos. of trees at the end of year within lease area & outside of the lease area are not reported correctly.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं अथवा आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियमावली, 2021 की अनुसूची-2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तिथि से से 30 (तीस) दिनों के भीतर कारण बताए कि उपरोक्त उल्लंघन के लिए पैरा 02 एवं पैरा 03 में वर्णित कार्यवाही क्यों न की जाए।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

भवदीय

(डी.आर. गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित :-

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।